

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक-145 / REG. / दुर्ग / दिनांक 01.04.2002

//जेसीबी, हाईड्रोलिक ट्रेक्टर ट्राली के माध्यम से राख एवं प्रेसमड शिफ्टिंग,
रापा/डोजर ट्रेक्टर के माध्यम से बगास फिंडिंग का कार्य कराने हेतु //

वर्ष 2023-24

तकनीकी भाग- 01 व 02

अल्पकालिक द्वितीय ई-निविदा क्रं. 148458, दिनांक 30/09/2023



प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर
कारखाना मर्यादित-बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

निविदा शुल्क- 1000 / -रु.

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद
(छ.ग.)
तकनीकी भाग- 01

अल्पकालिक द्वितीय ई-निविदा प्रपत्र

अल्पकालिक द्वितीय ई-निविदा क्रमांक / 148458 / 2023-24

दिनांक 30 / 09 / 2023

कारखाने के पेराई सत्र 2023-24 हेतु जेसीबी एवं ट्रेक्टर के माध्यम से निम्नलिखित कार्य कराने के लिए अल्पकालिक द्वितीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1	कारखाना के आरबीसी एवं आस-पास के समस्त स्थान से बगास को ट्रेक्टर रापा (डीजल सहित) से शिपिंग एवं फिडिंग का कार्य करना, ब्वायलर में लकड़ी फिडिंग का कार्य करना। प्रत्येक शिप्ट में 07 श्रमिक अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार बढ़ाये भी जा सकती है।
2	कारखाना के बॉयलर के समस्त स्थान के राख को शिपिंग ट्रेक्टर ट्राली / हाईड्रोलिक ट्राली (डीजल सहित) के माध्यम से कारखाना के शेड से बाहर राख उठाव एवं शिपिंग कार्य कारखाना द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा। कार्यों के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। प्रतिशिप्ट राख का उठाव करना अनिवार्य होगा।
3	प्रेसमड शिपिंग ट्रेक्टर / हाईड्रोलिक ट्राली (डीजल सहित) के माध्यम से उठाव एवं शिपिंग कार्य कारखाना द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा। कार्यों के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। स्पॉट पर प्रेसमड स्टॉक जाम नहीं होना चाहिए।
4	जेसीबी (डीजल सहित) द्वारा कारखाना के केनयार्ड में एकत्रित गन्ना केन कैरियर पर डालना एवं गाड़ी खाली करना तथा अन्य कार्य कारखाना प्रबंधन के निर्देशानुसार जेसीबी द्वारा पूर्ण करना होगा, 24 घंटे जेसीबी कारखाना में उपलब्ध रहेगा। केन कैरियर में जाम की स्थिति पैदा न हो।

- ई-निविदा हेतु इच्छुक फार्म / निविदाकार द्वारा भाग लेने के लिए ई-टेंडर के वेबसाइट में जाकर ई-निविदा हेतु फार्म राशि 1311 / - रु. (1000 / - रु. + 311 / - रु. चिप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय ऑनलाईन वेबसाइट (E-Procurement Portal: <http://eproc.cgstate.gov.in>) से फार्म Upload किया जाना है।
- ई-निविदा फार्म दिनांक **24 / 09 / 2023 समय रात्रि 08:00 बजे से 30 / 09 / 2023** को संपूर्ण वांछित एवं सत्यापित दस्तावेजों के साथ दोपहर 12:00 बजे तक शासकीय ऑनलाईन वेबसाइट (E-Procurement Portal: <http://eproc.cgstate.gov.in>) में अपलोड कर सकते हैं।
- ई-निविदा दिनांक **30 / 09 / 2023 को दोपहर 01:00 बजे** पश्चात् क्रिय समिति / निविदाकारों के समक्ष खोला जाएगा जिसमें निविदाकार / उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
- ई.एम.डी. राशि - निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई.एम.डी. हेतु राशि रुपये 50,000 / - (पचास हजार रुपये मात्र) कारखाने के खाते में RTGS के माध्यम से खाता क्रमांक **31360100006799**, IFSC Code- **BARB0BALODX** बैंक ऑफ बडौदा बालोद में **दंतेश्वरी मैया**

सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद के नाम से जमा करना होगा। RTGS/NEFT के माध्यम से ही ई. एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नहीं होने पर आपकी निविदा निरस्त मानी जाएगी।

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित-बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

1. ठेकेदार/ फर्म का नाम
2. पता
3. मोबाइल नंबर
4. ई.एम.डी. जमा राशि शब्दों में
5. आरटीजीएस नंबर एवं दिनांक / /
6. बैंक जिसके द्वारा खाते में जमा
किया गया

फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद
(छ.ग.)
तकनीकी भाग- 02

अल्पकालिक द्वितीय ई-निविदा प्रपत्र

Main Portal: <http://eproc.cgstate.gov.in>

अल्पकालिक द्वितीय ई-निविदा क्रमांक / 148458 / 2023-24

दिनांक 30 / 09 / 2023

कारखाने के पेराई सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित कार्य कराने के लिए अल्पकालिक द्वितीय ई- निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1	कारखाना के आरबीसी एवं आस-पास के समस्त स्थान से बगास को ट्रेक्टर रापा (डीजल सहित) से शिपिंग एवं फिडिंग का कार्य करना, ब्वायलर में लकड़ी फिडिंग का कार्य करना। प्रत्येक शिफ्ट में 07 श्रमिक अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार बढ़ाये भी जा सकती है।
2	कारखाना के बॉयलर के समस्त स्थान के राख को शिपिंग ट्रेक्टर ट्राली/हाईड्रोलिक ट्राली (डीजल सहित) के माध्यम से कारखाना के शेड से बाहर राख उठाव एवं शिपिंग कार्य कारखाना द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा। कार्यों के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। प्रतिशिफ्ट राख का उठाव करना अनिवार्य होगा।
3	प्रेसमड शिपिंग ट्रेक्टर/हाईड्रोलिक ट्राली (डीजल सहित) के माध्यम से उठाव एवं शिपिंग कार्य कारखाना द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा। कार्यों के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। स्पॉट पर प्रेसमड स्टॉक जाम नहीं होना चाहिए।
4	जेसीबी (डीजल सहित) द्वारा कारखाना के केनयार्ड में एकत्रित गन्ना केन कैरियर पर डालना एवं गाड़ी खाली करना तथा अन्य कार्य कारखाना प्रबंधन के निर्देशानुसार जेसीबी द्वारा पूर्ण करना होगा, 24 घंटे जेसीबी कारखाना में उपलब्ध रहेगा। केन कैरियर में जाम की स्थिति पैदा न हो।

ई-निविदा हेतु कार्य करने के इच्छुक निविदाकार/फर्म निविदा में भाग लेने के लिए

<http://eproc.cgstate.gov.in/> पर निविदाओं की अन्य सभी शर्त और योग्यता के लिए मानदंड आदि को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट किया गया है। संलग्न/शामिल की जाने वाली आवश्यक दस्तावेज

1. ठेकेदार/ फर्म का नाम
2. पता
3. मोबाइल नंबर
4. ई-मेल आई.डी.

5. जी.एस.टी. नंबर
6. फर्म का पैनकार्ड नंबर
7. बैंक का नाम
8. खाता क्रमांक
9. वाहनों एवं चालक का पंजीयन
प्रमाण पत्र
10. अनुभव प्रमाण पत्र
11. आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र
(वित्तीय वर्ष 2021-22 या 2022-23)

फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुबंध की नियम एवं शर्तें—

1. निविदा प्रपत्र तीन लिफाफा में जमा करना अनिवार्य है। ई.एम.डी. संबंधी बिड – एक, तकनीकी बिड— दो एवं व्यावसायिक बिड— तीन ।
2. निविदाकार को तकनीकी बिड— दो के साथ जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पैन नंबर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. ई—निविदा तकनीकी बिड—2 में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को अपलोड किया जाना होगा एवं व्यावसायिक बिड—3 में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
4. कारखाने से संबंधित कार्य का दर जी.एस.टी रहित दिया जाना होगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा एवं जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे कारखाना द्वारा जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया जा सके जी.एस.टी. का क्रेडिट नही मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।
5. जी.एस.टी. के अतिरिक्त अन्य कर का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
6. नियमानुसार टेक्स आदि की कटौती की जावेगी।
7. फर्म द्वारा विगत 02 वित्तीय वर्ष 2021—22 या 2022—23 में कम से कम 01 वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
8. फर्म द्वारा विगत 02 पेरार्ड सत्र 2021—22 या 2022—23 में कम से कम 01 पेरार्ड सत्र में किसी शककर कारखाने का अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
9. उक्त कार्य में लगे मजदूरों की लिस्ट शिफ्ट वार प्रत्येक दिन टाईम ऑफिस में संबंधित अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
10. कारखाना में कार्यरत मजदूरों का श्रम विभाग के नियमानुसार बीमा होना अनिवार्य है, यदि किसी दुर्घटना में मजदूर को कोई क्षति होती है तो ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे, कारखाना प्रबंधन इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
11. श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण (हेलमेट, जूता, बेल्ट, दस्ताने, चश्मा), परिचय पत्र (आई.कार्ड), यूनिफार्म/ड्रेस इत्यादि प्रदाय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
12. बगास को प्वाइन्ट से हटाना, बायलर हेतु बगास फिडिंग कार्य, राख शिपिंग एवं प्रेसमड शिपिंग कार्य में लगने वाले डोजर ट्रेक्टर, ट्रेक्टर हाइड्रोलिक ट्राली, 24 घंटे कारखाना में उपलब्ध रहेगा (जो बिना प्रबंधन की सहमति एवं कार्य को छोड़कर बाहर नहीं जायेगा) एवं संबंधित कार्य संपादित कराने की जवाबदारी ठेकेदार की होगी। कारखाने में आवश्यकता पड़ने पर अन्यत्र भी ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर /लेबर का उपयोग किया जायेगा।
13. बगास फिडिंग कार्य में कम से कम 01 ट्रेक्टर डोजर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

14. कार्य कारखाना के अधिकारियों के निर्देशन में सम्पन्न करना होगा। अनुशासनहीनता पाये जाने पर कार्य से पृथक किया जा सकेगा। 24 घंटे डोजर ट्रेक्टर एवं ट्रेक्टर हाइड्रोलिक ट्राली का कार्य नहीं करने/होने पर कटौती किया जावेगा एवं शिफ्ट इंजीनियर/चीफ इंजीनियर के द्वारा लॉग बुक सत्यापन अनुसार ही बिल भुगतान किया जावेगा।
15. ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर/जेसीबी में किसी भी प्रकार के खर्च के लिए कारखाना भुगतान नहीं करेगा। उक्त समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। प्रत्येक शिफ्ट के लिए ठेकेदार को ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर/जेसीबी हेतु ड्रायवर स्वयं को उपलब्ध कराना होगा। ड्रायवर लाइसेंसधारी एवं बीमाकृत होना चाहिये एवं लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न की जायें।
16. ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर/जेसीबी में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर तत्काल दूसरी ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
17. ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर/जेसीबी ड्रायवर का बीमा अनिवार्य रूप से करना होगा एवं उसका वेतन ठेकेदार को देना होगा।
18. ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर ट्राली/जेसीबी का बीमा होना अनिवार्य है। निविदाकार को कार्य अवधि के दौरान वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं बीमा की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
19. ठेकेदार को कारखाना अधिनियम, श्रम अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
20. कार्य के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं को करना होगा।
21. कार्य प्रभावित होने की स्थिति में प्रति घंटा 2000.00 आर्थिक दण्ड किया जायेगा, जो भुगतान बिल की राशि से कटौती की जाएगी।
22. कार्य संतोषप्रद होने पर आगामी सीजन के लिए कार्यादेश अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रबंधन पर सुरक्षित रहेगा।
23. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति में कारखाना प्रबंधन का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।
24. ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर/जेसीबी ठेकेदार को अधिकारियों के निर्देशन में कार्य सम्पन्न करना होगा। ठेकेदार द्वारा आदेशों की अवहेलना करने/कारखाना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुँचाने या अवांछित गतिविधियों में संलिप्त रहने अथवा कार्य में गुणवत्ता का अभाव पाये जाने की स्थिति में प्रबंधन के निर्देश पर ऐसे ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर/जेसीबी ठेकेदार को तत्काल कार्य से पृथक कर उनके स्थान पर नया ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर/जेसीबी ठेकेदार से कार्य कराया जावेगा। एवं कारखाने द्वारा निर्धारित अमानत राशि को जब्त करते हुये 5 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।
25. ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर/जेसीबी में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर तत्काल दूसरे ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर/जेसीबी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
26. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।

27. प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कार्यादेश निरस्त करने संबंधी पूर्ण अधिकार होगा।
28. ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में प्रबंधन द्वारा बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार का कार्य आदेश निरस्त कर ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जावेगी।
29. कारखाना परिसर में धूम्रपान वर्जित होगा।
30. नशे की हालत में किसी भी श्रमिक का कारखाने में प्रवेश वर्जित रहेगा, यदि किसी भी श्रमिक को नशे की हालत में पाया जाता है तो श्रमिक को कार्य से बाहर कर दिया जावेगा तथा ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
31. कार्य आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर प्रबंधन के साथ अनुबंध करना अनिवार्य होगा, अनुबंध नहीं करने की दशा में देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा।
32. कारखाना प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
33. ठेकेदार को शिफ्ट में कार्यरत मेन्युफेक्चरिंग केमिस्ट/चीफ केमिस्ट/चीफ इंजिनियर के निर्देशन में कार्य करना अनिवार्य होगा।
34. यदि किसी कारण वश फैक्ट्री बंद रहते हैं तो बंद दिवस को भुगतान नहीं किया जायेगा।
35. कार्य आदेश के 7 दिनों के भीतर कार्य निष्ठा संबंधी अनुबंध कराना आवश्यक होगा।
36. कारखाना प्रबंधन उपर्युक्त के अलावा भी नियम/शर्तें लागू कर सकेगा जो ठेकेदार को पालन करना अनिवार्य होगा।
37. कार्य की प्रकृति के आधार पर उक्त नियम एवं शर्तें के उपबन्ध लागू की जावेगी।

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं फर्म प्रतिनिधि

का नाम पिता का नाम पता

..... का निवासी हूँ मैं शपथ पूर्वक कथन करना हूँ कि

1. मेरे द्वारा कोड दिया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नहीं करूंगा।
2. मेरे द्वारा कोड कि गई सामग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कार्यादेशों की सामग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।

4. मैंने निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं किया है और नहीं कोई अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रूपये कारखाना के खाता क्रंमाक
..... में राशि रूपये दिनांकको संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है तो समस्त ई.एम.डी. राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर

S.No.	Department	SOR	Year	Item Code	Description/Specification of material	Unit	Rate	Qty Req.	Amount
1	DMSSK	NS	2023	2JT1	BEGASSE SHIFTING FROM BASASSE YARD TO RBC BY TRACTOR OR LABOUR AND, FEEDING WORK TO RBC AND WOOD COLLECTED NEAR BOILER AND DUMP IN FURNESE BY LABOUR AS PER REQUIRMENT . MINIMUM 07 WORKER IS TO BE EMPLOYED PER SHIFT AND AT THE TIME OF ANY STOPAGE OF MILL LABOUR REQUIREMENT WILL INCREASE AS PER NEED.	per month		1	
2	DMSSK	NS	2023	2JT2	ASHES SHIFTING WORK FROM BOILER TO OTHER PLACES IN FACTORY BY TRACTOR TROLLY/HYDRAULIC TROLLY (WITH DIESEL /LABOUR).	per month		1	
3	DMSSK	NS	2023	2JT3	PRESSMUD SHIFTING WORK FROM VACUUM FILTER TO SPECIFIC PLACE OF FACTORY BY TRACTOR TROLLY/HYDRAULIC TROLLY (WITH DIESEL/LABOUR)	per month		1	
4	DMSSK	NS	2023	2JT4	JCB (with diesel & driver) IS REQUIRED IN CANE YARD FOR UNLOADING AND FEEDING OF CANE IN CANE CARRIER AND OTHER WORK OF FACTORY AS PER REQUIRMENT (24 HOURS AVAILABLE IN FACTORY CAMPUS). RATE PER MONTH	per month		1	